

## कार्यालय

### राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद,

#### राज्य प्रवेश आयोग

संख्या- प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संखनक: दिनांक: 09/08/2021

#### कार्यालय द्वारा:-

राज्य प्रवेश आयोग राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एनएससी कार्यालय, जौनपुर/उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली द्वारा संचित सत्र 2021-22 हेतु द्वितीय स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, जोधपुर संखनक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आर्यवेद नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश आयोग वृद्धि स्टाफ अन्य नए पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निर्णय को निर्णय के अनुसार से निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, जोधपुर संखनक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्च शिक्षा उचित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम | 3362-DR. OM PRAKASH SCHOOL OF PHARMACY, BEWAR ROAD, NAYSI, FARUKHABAD.

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आर्यवेद/ए0ए0/वी0बी0आर्यवेद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	PG DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आर्यवेद/ए0ए0/वी0बी0आर्यवेद द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पुरानतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनवली 1992, सेमेस्टर विनियमनवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वास्तविकता निर्गत किये जाने वाले सम्बन्धों का प्रभाव होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की तारीखतम दरे लागू होगी।
- ✓ संस्था को (जोधपुर प्राविधिक शिक्षा समिति तथा जा समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किये जाने) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था से संपुन प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विक स्र जाने की स्थिति में उत्तर



(शुनील कुमार सोनकर)

संविदा

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिन/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

तखनक दिनांक- 15-9-2020

**--कार्यालय ज्ञाप--**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मवीर कारुणिक जीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विधेयमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने में उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अतिरिक्त नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संश्लिष्ट संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार कला हुआ सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त ही अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद-3 में विधेयमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संश्लिष्ट करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नप्रतु निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित विधेयमा इन फार्मेटो पाठ्यक्रम संश्लिष्ट करने वाली संस्थाएँ, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आहुत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई० /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3301	डी० जी० प्रकाश एडुन जी० कर्मवीर, कला राज नगरी, फतेहगढ़।	विद्येयमा इन फार्मेटो	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संख्या ए०आई०सी०टीआई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था परन्तु ए० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विधेयमावली 1982, संश्लिष्ट विनियमावली-2014 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्टीग्रेटेड पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,15000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेटो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,500/-







**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश सचनक।**

संख्या- प्राथम/परिषद सचनक/2019/1132

सचनक दिनांक 15-6-2019

**-कार्यालय ज्ञान-**

उच्चित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वैश्विक स्तर 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बंध प्राथमिक शिक्षा परिषद सचनक संख्यक से सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान किया जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 को अग्रतः प्राथमिक शिक्षा परिषद सचनक सचनक की संस्थाओं से सम्बंधित प्रस्तावों का निर्णय किया गया है। इसके में सत्र 2019-20 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बंधित संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान/पाठ्यक्रम/प्रवेश आसक्त बुद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त के अनुषंग में सम्बद्धता समिति की बैठक से सद-3 में पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इजीए पाठ्यक्रम संश्लेषित करने वाली संस्था का प्रचारित तथा मका। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रचारित विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019-20 से संस्था में संचालित कतिपय पाठ्यक्रमों को बंद किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एएआईटीआई द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया एवं समिति द्वारा यह भी निर्णय किया गया कि इन पाठ्यक्रमों में पूर्व से अत्यापनस्त छात्र/छात्राओं का डिप्लोमा उत्तीर्ण होने तक प्रतन-पाठन से संबंधित समस्त कार्यवाही संस्था द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

उक्त विधानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा सचनक द्वारा सत्र 2019-20 हेतु विभाजित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अर्थात् प्रवेश हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	कार्यालय का नाम	एएआईटीआई/पीटीआई द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2282	उच्च शिक्षा विभाग स्कूल जीवा छात्रावासी, बंगर रोड, सयानी, बलिया जिला	विभाग उच्च शिक्षा में उच्च शिक्षा विभाग, विभाग/सचनक उच्च शिक्षा सचनक	00	00

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एएआईटीआई/पीटीआई द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा परिषद सचनक 1882 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमनाली 1982 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा सुस्त निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित सुस्त हीन तर्फीय इजीए पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019-20/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय तर्फीय पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय आसक्त बुद्धि/कमी) हेतु सत्र- 22,500.00 प्रतिवर्ष सुस्त ही तर्फीय छात्र, छात्रा में प्रवेश किया जाएगा। उपरोक्त में अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से सुस्त के तत्त्व में समस्त-समस्त प्रत शाला सुस्त निर्मित किये जाने वाले तर्फीय प्रस्तावों हेतु, उच्च शिक्षा विभाग कार्यवाही किये जाते आसक्त बुद्धि/कमी, पीटीआई निर्धारित समिति द्वारा किये सत्र 2019-20 हेतु उच्च शिक्षा का पुनर्निर्धारण किये जाते है, जो उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होगी।
- ✓ संस्था को (100%) प्राथमिक शिक्षा समिति में उच्च शिक्षा समिति में सम्बद्धता प्रदान किया जाएगा। विनियमनाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।